कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-35/2016-17/

दिनांक : /11/2016

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिक परिषद, नैनीताल

जनपद- नैनीताल

विषय : नगर पालिका परिषद, नैनीताल का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में 01 प्रस्तर एंव भाग -4(ब)-2 में 01 प्रस्तर एवं STAN शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-35/2016-17/ दिनांक : /11/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून
3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर पालिका परिषद नैनीताल, नैनीताल पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री रोहिताश शर्मा - अधिशासी, अधिकारी नगर पालिका परिषद **नैनीताल**

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस के वर्मा, स.ले.प.अ.
(ii) श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ.
(iii) श्री विशाल कुमार गुप्त स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 18.04.2016 से 29.04.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधिः- 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पालिका परिषद- नैनीताल, जिला- नैनीताल**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 114399 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 41377

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या 13
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06 प्रतिवर्ष

(ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 06

4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : 348
6. पंचायतराज की सम्पत्तियां : -
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : विवरण सलंग्न
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :- ` 19.46 करोड़

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पालिका परिषद, नैनीताल** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री एस. के वर्मा, स.ले.प.अ., श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ एवं श्री विशाल कुमार गुप्त स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 18.04.2016 से 29.04.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-2(अ)**	**प्रस्तर भाग- 2(ब)**

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर -	2013-14	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची-

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख-

भाग-3

धनराशि(` में)

मद का नाम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16	
	प्राप्ति	**व्यय**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्राप्ति**	**व्यय**
प्रारम्भिक अवशेष	**3,13,85,775**		**1,59,00,768**		**2,03,69,415**	
केंद्रीय वित्त आयोग	1,54,67,000	1,61,82,295	1,81,64,000	1,35,45,997	1,74,46,000	1,30,05,724
राज्य वित्त आयोग	10,45,56,000	11,99,21,638	10,45,56,000	11,49,83,053	10,45,56,000	12,96,71,969
सांसद/विधायक निधि	47,22,000	44,13,871	0	1,07,853	36,84,000	35,78,235
अवस्थापना निधि	0	0	6,17,000	5,48,232	71,63,000	72,31,738
निजी आय	3,85,18,875	3,36,46,433	4,05,80,093	2,60,59,823	5,42,59,066	2,97,39,795
ब्याज प्राप्ति	7,26,774	0	7,04,808	0	10,86,501	0
विविध आय	67,69,772	1,20,81,191	48,99,758	98,08,054	1,45,97,982	1,13,92,013
वर्ष की आय	17,07,60,421		16,95,21,659		20,27,92,549	
कुल आय	**20,21,46,196**		**18,54,22,427**		**22,31,61,964**	
कुल व्यय		**18,62,45,428**		**16,50,53,012**		**19,46,19,474**
अंतिम अवशेष	**1,59,00,768**		**2,03,69,415**		**2,85,42,490**	

लेखाओं पर टिप्पणी:

1. वर्ष के अंत में एक बड़ी धनराशि अवशेष पड़ी थी जिसका तात्पर्य है कि योजनाओं का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया गया।
2. लेखाओं का रख-रखाव सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में नहीं किया जा रहा था।
3. नगर पालिका पर पेंशन, ग्रैच्युटी एवं अन्य देयकों पर कुल ` 683.17 लाख की देनदारी लम्बित थी।
4. ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया जा रहा था।

<u>भाग 4(ब)-2</u>

प्रस्तर 1- विज्ञापन/यूनिपोल के अनुबंधों में निर्धारित दर से स्टाम्प शुल्क न लगाने के कारण शासन को ` 2.98 लाख की राजस्व की हानि।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा 16 एवं इसी अधिनियम की अनुसूची (1)(ब) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/ अनुबंध या करार तथा किसी अचल संपाति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्धि हो सके। महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्र संख्या- 375/ म० नि० नि०/ 2012-13 दिनांक 13.07.2012 जो निदेशक शहरी विकास को संबोधित है, में आदेश दिया गया था कि नगर निगमों, नगर पालिका परिषद, एवं नगर पंचायतों में जो आय प्राप्ति हेतु ठेके दिये जाते हैं उस पर सम्पूर्ण धनराशि का दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क वसूला जाय। इसी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-02-2011 में स्पष्ट किया गया है कि लीज/ अनुबंध स्टाम्प एक्ट की धारा (2) (16) के अंतर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद नैनीताल में विज्ञापन/ यूनिपोल/ पार्किंग ठेको से संबन्धित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि नगर पालिका द्वारा वर्ष 2015-16 में विभिन्न स्थानो में विज्ञापन पोल हेतु योगेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह के साथ अनुबंध गठित किया गया जिसकी अंकन राशि ` 141.00 लाख थी। इसी तरह पार्किंग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के लिए श्री प्रदीप सिंह के साथ ` 8.11 लाख मे अनुबंध गठित किया गया। आगे अवलोकन में पाया गया कि दोनों ठेकों में स्टांप शुल्क दो प्रतिशत की जगह केवल ` 100 के लगाए गए हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं-

धनराशि (` में)

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**अनुबंध की धनराशि**	**लिया जाने वाला स्टाम्प शुल्क**	**लिया गया स्टांप शुल्क**	**अंतर**
1	मल्लीताल फ्लैट वाहन पार्किंग (2015-16)	1,41,00,000	2,82,000	100	2,81,900
2	बी.डी.पाण्डेय चिकित्सालय पार्किंग ठेका	8,11,000	16,220	100	16,120
				कुल योग	**2,98,020**

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासनादेश न होने के कारण स्टाम्प शुल्क पुरानी दरों पर लिया गया तथा भविष्य में बढ़ी हुई दर से वसूली की जाएगी।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बढ़ी हुई दर पर वसूली न करने से शासन को राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम का अनुपालन न किया जाना एवं प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु अनुबंधित एजेंसी को ` 28.13 लाख की धनराशि का अत्यधिक भुगतान।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 (Municipal Solid Waste Management and Handling rules 2000) के अनुसार प्रत्येक नगर निगम प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद, और नगर पंचायत, ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु उसका संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंकरण एवं निपटान (Collection, Storage, Segregation, Transportation, Processing and Disposal) के लिए उत्तरदायी होगा । उक्त कार्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद, या नगर पंचायत स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से भी करा सकता है । उक्त नियमो के अनुसार निकाय को राज्य प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार पत्र एवं अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । निकायों को ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय का सुरक्षित संग्रहण एवं पृथक्करण करना होगा। ठोस अपशिष्टों का भंडारण खुले वातावरण मे न हो तथा भंडारण सुविधाएं या ''विंस'' नगरीय ठोस अपशिष्टों के हथालन और परिवहन के लिए तथा सहज प्रचालन के लिए डिजाइन होंगे । जैव अपघटनीय अपशिष्टों के भंडारण के लिए विंस हरे रंग के होंगे, पुनर्चक्रण (Recycling) अपशिष्टों के भंडारण के लिए विंस सफ़ेद रंग के तथा अन्य अपशिष्टों के भंडारण के लिए विंस काले रंग के होंगे ।

(I) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि JNNURM-UIG (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission- Urban Infrastructure and Governance) के अंतर्गत नैनीताल शहर हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना हेतु ` 931.00 लाख की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी, जिसके लिए RFP (Request for proposal) तैयार करने के लिए PPP Cell के विशेषज्ञ द्वारा निम्न कार्यों को शीघ्र सम्पादित करने के निर्देश दिए थे:-

1. किसी फ़र्म का चयन कर EIA (Environmental impact assessment) करा लिया जाय।
2. वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय।
3. जल स्तर के सम्बंध में जल संस्थान से अनापत्ति ले ली जाय।
4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति ले ली जाय।
5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति ले ली जाय।

उक्त मिशन के अंतर्गत नैनीताल शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कुल ` 232.75 लाख (केंद्रान्श ` 186.20 लाख एवं राज्यांश ` 46.55 लाख) अवमुक्त की गयी थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

के अंतर्गत Sanitary Landfill के लिए शहर से सात किलोमीटर दूरी पर नैनीताल कालाढुंगी रोड स्थित नारायण नगर में चयनित किया गया (अगस्त 2010 एवं जुलाई 2011) परंतु उक्त जगह पर वहाँ के निवासियों द्वारा कूड़ा डालने को लेकर लिखित आपत्ति दर्ज की गयी थी।

आगे, जाँच में पाया गया कि उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए A2Z Waste Management (Nainital) Private Ltd. से दिनांक 14.12.2011 को अनुबंध किया गया था। उक्त निर्देशों का अनुपालन एवं वन भूमि हस्तांतरण दोनों न किए जाने के बावजूद उक्त कम्पनी को ` 200.00 लाख की धनराशि को दो किस्तों, क्रमशः ` 80.00 लाख एवं ` 120.00 लाख, में आवंटित किया गया था। उक्त धनराशि में से ` 171.87 लाख की धनराशि से डी.पी.आर. अनुसार वाहन/उपकरण क्रय किए गए तथा अवशेष धनराशि ` 28.13 लाख एजेंसी के पास पड़ी थी। दिनांक 08.11.2013 को कंपनी द्वारा Termination Notice दिया गया था तथा दिनांक 10.11.2013 को कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया तथा दिनांक 13.12.2013 को अंतिम रूप से समाप्ति का पत्र भेज दिया गया। आगे, यह भी पाया गया कि पुनः दिनांक 07.01.2016 को पालिका द्वारा उक्त कंपनी को पत्र लिखा गया था जिसमे यह कहा गया था कि धनराशियों का उपयोग करने में कम्पनी असफल रही और एक बड़ी धनराशि गैर-विधिक रूप से अनुपयोगी पड़ी हुई है। इस पत्र के माध्यम से पालिका द्वारा समस्त विवादो को निपटाने हेतु सहमति जताते हुए कंपनी के साथ बैठक करने की बात कही गई थी।

(II) आगे, यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त नियम का अनुपालन न करते हुये कूड़े का पृथक्करण, परिवहन, प्रसंकरण एवं निपटान नहीं किया जा रहा था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अनुदान के समयान्तर्गत उपयोग हेतु धनराशि का व्यय किया गया तथा एजेंसी से जमानत के रूप में जब्त धनराशि से वसूली की जाएगी।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एजेंसी द्वारा कार्य छोड़े जाने के तीन वर्ष के उपरांत भी ` 28.13 लाख की धनराशि के व्ययाधिक्य का विवरण पालिका द्वारा नहीं लिया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर पालिका परिषद, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय